शिक्षाका सभी क्षेत्रों में बाजारीकरण रद्द करना और केजी से पीजी मुफ्त, समतामूलक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सार्वजनिक निधीद्वारे प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए

मुंबई शिक्षण कंपनीकरण विरोधी अभियान, मुंबई

अवेहि-अॅबकस प्रकल्प, के.के.मार्ग म्यु. शाळा, न्यू. शिरीन टॉकीजच्या मागे, सात रस्ता, जेकब सर्कल, महालक्ष्मी, मुंबई ४०००११ फोन नं.: २३०७५२३१ email: avehiabacus@gmail.com
युसूफ मेहेरअली सेंटर, डी-१५, गणेश प्रसाद, नउशिर भरूचा मार्ग, ग्रँटरोड (प.),मुंबई ४०००७ फोन नं. : २३८७००९७ email: yusufmeherally@gmail.com

जावक क्र. : मुंशिकंविअ/०७/२०१३ **संकल्पना टिपण** दिनांक : २८/०२/२०१३

मुंबई महानगरपालिका के सत्ताधारी सेना-भाजपा सरकार ने २३ जनवरी २०१३ को मनपा की लगभग सभी १२०० स्कूल निजी संस्था, एनजीओं, कॉरपोरेट कंपनीयों के ताबे में देने का निर्णय लिया है । शिक्षा का दर्जा सुधारना और स्कूलों में बच्चों की संख्या बढाना यह झुठा तर्क मनपाने दिया है । काँग्रेस-राष्ट्रवादी प्रमुख विरोधी दल ने इस निर्णय का केवल दिखावे के लिए निषेध किया है ।

इस निर्णय से देशी-विदेशी कंपनियों के फंडिंग के सहारे चलनेवाली एनजीओं को शिक्षा का पूरा जिम्मा सोपना यह निती शिक्षा का बाजारीकरण और कंपनीकरण को बढानेवाली है । इससे यह साबित होता है की भारत में मजदूर, गरीब दलित एवं पिछडे जातीयों के शिक्षा के अधिकार पर जबरदस्त हमला है और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नही इस तत्व की मान्यता देनेवाला यह निर्णय है । आज आम आदमी के लिए मँहगी शिक्षा यह सबसे बडी समस्या है । मुंबई मनपा का निर्णय इसी दिशा में बढता हुआ एक कदम आगे है । इसलिए इस विनाशकारी निर्णय के खिलाफ पूरे राज्य के जनताको संघठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है ।

भ्रम और वास्तव

शिक्षा मँहगी होने के कारणही शोषित, गरीब जनता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढाने के लिए भेजती है । शिक्षा का बाजार तेज हो यह उद्देश लेकर सत्ताधारी वर्ग ने जानबूजकर सरकारी शिक्षा क्षेत्रपे खर्चे को कम किया है और दर्जेको भी घटाया है । सरकारी/मनपा स्कूलों को जादा से जादा सहुलियत देकर उनके दर्जा में सुधार करने की निती छोडकर अब मात्र 'सार्वजनिक निजी भागिदारी' 'पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप - पीपीपी' द्वारा स्कूलों का कंपनीकरण होगा । लेकीन ऐसे निती अनुभव क्या रहा है ?

१) एनजीओं जनता को जिम्मेदार नही होती सबको समान गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त दर्जेवाली और सक्तीसे शिक्षा देना उनके उद्देश में ही नही है । इन्ही के कारण अलग-अलग स्कूलों में अलग प्रकार के दर्जेको प्रतिष्ठा मिलेगी इससे विषमता जरूर बढेगी।
२) मल्टी नॅशनल कंपनीयोंने दिये हुए (भीकपर) पैसोंपर चलनेवाली एनजीओं सभी स्कूलों की जिम्मेदारी ले नही सकती मतलब पैसोवाली कुछ चुनींदा एनजीओं सुधार का नाटक जरूर करेगी लेकीन स्कूलों की स्थिती में वास्तव में विषमता मौजूद रहेगी । हर एनजीओं की कार्यपद्धती, उद्देश में फर्क होने के कारण भी असमानता को बढावा मिलेगा । इस तरह शिक्षा क्षेत्र में विषमता का सिलसिला जारी रहेगा ।
३) आखिर एनजीओं का फंडींग सिमीत हदतक मिलता है (वो तो भीक ही है) उसके बाद पैसा कहासे आयेगा ? दत्तक स्कूल की जिम्मेदारी आधे में छोडकर भाग जानेवाली एनजीओं को कोई रोक भी नही सकता खुद के प्रकल्प (व्यवसाय) चलाने के लिए एनजीओं बच्चों से पैसे वसुली कर सकती है इसकी जादा गुंजाइश है ।
४) शिक्षक भरती के संदर्भ में एनजीओं को कोई पात्रता (अर्हता) के नियम लागू नही होते इस कारण से अपात्र शिक्षकोंद्वारा शिक्षा का महत्त्वपूर्ण काम ठेकेदारी तरीकेसे चलाया जायेगा ।
५) एनजीओंद्वारा हर स्कूल में अलग-अलग नियम लागू किया जाता है जिससे अधिकारों का हनन होता है । उदा. स्कूल प्रवेश नकारना, विविध उपक्रमों के लिये पैसा वसुली करना आदि ।

६) मुंबई और महाराष्ट्र में बहोतसे शहरो में, स्कूलों की जमीन करोडो-अरबो रुपये किंमत की है । यह जनता के हक की जमीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपसे बिल्डर, डेव्हलपर के ताबे में देने का यह षडयंत्र है ।
७) आय आय टी, आय आय एम, मेडीकल, इंजिनियरींग, ॲग्रीकल्चर, केंद्रीय विद्यालय ऐसी अच्छे दर्जेवाली सरकारी शिक्षा संस्थाओं को भारी संख्या में सरकार ने ही बनाया है । मतलब सरकार चाहे तो स्कूलों में भी सुधार ला सकती है । लेकीन गरीब, दलित अल्पसंख्य लोगोंको शिक्षा का हक देना यह सरकार की नियत नही ।

पीपीपी का खतरनाक षडयंत्र

'पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप' याने की 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' इस दिल लूभानेवाले नाम से आज पूरे देश में सडक, बिजली, पानी, आरोग्य, परिवहन, ग्रामीण विकास अनेक क्षेत्र में निती को लागू करवाया है । इस खतरनाक साजिश को वास्तव रूप में समझना जरूरी है । वस्तूत: पैसा है जनताका, और मालामाल है उद्योगपती ? यह पीपीपी के धोरण का स्वरूप है । मतलब मुनाफा निजी उद्योग कंपनीका और घाटा जनताका । यह तो बचीकुची सामाजिक कल्याण के निती की धज्जीयाँ उडानेवाली बात हुई ।

आम जनताका भला करने के नाम पर बेहिसाब लूटद्वारा फाईव्हस्टार हॉस्पिटल, स्कूल बनाये जा रहे है । वहा ना तो आम आदमी जा सकता नाही मजदूर ! सरकारद्वारा सडक का निर्माण करना हो तो निजीकंपनी के लिए सरकार भूसंपादन करती है । निजी कंपनी को करो में सहुलियत, बुनियादी सुविधाऐ दी जाती है और फिर निजी टोल कंपनीयाँ अरबो रुपये जनतासे, सक्तीसे लूटती है । सरकार निजी बिजली कंपनियों को मुनाफे के लिए भरोसा दिलाती है । सरकारी बिजली परियोजना बंद करवाकर निजी बिजली कंपनी को दरे बढाने की छूट दी जाती है । ऐसेही शिक्षा क्षेत्र में पीपीपी का घूसना भविष्य के खतरे की घंटी है । जनता के मेहनत से बनी हुई इमारते, साधन सामग्री यह नियोजित रूपसे निजी संस्था, एनजीओं कंपनीयों को सोपने का खुला षडयंत्र है ।

आज मुंबई कल सारा भारत

यह समस्या सिर्फ मुंबई शहर की है, ऐसा मानाना बडी भूल होगी । पुणे, मुंबई में आकांक्षा नामकी एनजीओं स्कूल 'दत्तक' दिये गये है । पुणे में सरकारी स्कूलों को निजी संस्था के ताबे में देनेका प्रस्ताव महानगरपालिका पुणे मे आया है । सभी बालवाडी (पूर्वप्राथमिक) वर्ग के शिक्षकों का प्रशिक्षण दीपक फाऊंडेशन द्वारा एनजीओं को सोप दिया। पंजाब राज्य में तो खुलेआम सरकारी स्कूलों का कोडी के दामों में बेचने की साजिश हुई है । यह पूरे भारत में हो रहा है ।

इस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण करने की निती बीस साल से चली आ रही है । जनविरोधी 'निजी विश्व विद्यालय क़ानून' महाराष्ट्र शासनने २०१२ में विधान सभा में मंजूर किया अब राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के नाम से 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्व विद्यालय विधेयक' प्रस्तावित है । सरकारद्वारा नियुक्ती किये हुए राम ताकवाले, कुलगुरू अरूण निगवेकर, अनिल काकोडकर इनकी समितीने यह नया विधेयक बनाया है । इस विधेयक में बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी. आदि एक साल की फीज ५०,००० से १लाख रुपयो तक मँहगी होगी यह इन कुलगुरू की देन है । जनताका पहलेसे शोषण कर रहे शिक्षा सम्राटों को व्यापार में खुली छूट देनेवाली भूमिका गये २० सालों में सभी राजकीय दलों ने अदा की है । दिन-ब-दिन हर स्तरपर सरकारी शिक्षा पे सरकार खर्च घटाते आ रही है । अगर इस हमले का प्रतिरोध नही हुआ तो कल सभी बच्चे, पालक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीयों पर आघात होगा ।

इस तरह से सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में ही नही आरोग्य, बिजली, पेट्रोल, डिझेल, गॅस, रेल, बस सेवा, कचरा व्यवस्थापन, खदान, नदी ऐसे सभी सार्वजनिक संपत्ती, भौतिक संपदा का क्रूर निजीकरण दशकों से शुरू है और बढती मँहगाई इसका सीधा पडनेवाला असर है । ताला बंदी करनेपर प्रतिबंध करनेवाला क़ानून महाराष्ट्र सरकारने २०१२ में मंजूर किया है । १९९१ के बाद नवउदारवादी अर्थव्यवस्था का सिलसिला जारी है । मतलब पूरी समाज व्यवस्थाको बाजारू रिश्तें में तबदील करना जोरोसे शुरू हुआ ।

जागतिक बँक के आदेश के अनुसार आर्थिक सुधार के नामपर शिक्षा व्यवस्थापर होनेवाले खर्च को घटाना, अनुसूचित जाति-जमाती, भटके विमुक्त जाति, इतर मागासवर्गीय इनको मिलनेवाली फ्रीशीप, शिष्यवृत्ती बंद करना और बाजारीकरण को प्रोत्साहन देनेवाला यह पीपीपी का निर्णय है । सभी घटनाओं को मुद्दे नजर रखते हुऐ मुंबई मनपा के स्कूलों के कंपनीकरण का निर्णय सिर्फ एक शुरूआत है यही कदम हर नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हापरिषद, ग्रामपंचायत पूरे भारत में फैलेगा । इसलिए गंभीरतासे सोचना और संघठित होना पडेगा ।

पैसो की कमी का सरकार का बहाना

आज आम आदमी के बुनियादी सुविधाओं की अगर माँग करता है तो उस वक्त सरकार 'पैसा नही' का रोना रोती है । वस्तुस्थिती तो कुछ और है सरकार के पास ढेर सारा पैसा है लेकीन जनता के लिए खर्च करने की उनकी सोच ही नही, पर हाँ ! कॉमनवेल्थ गेम्सपर देडलाख करोड रुपया उडाना, उद्योगोंको, कंपनीयोंको ५ लाख करोड रुपयों की टॅक्स में छूट देना इसके लिए पैसा है ! लेकीन सभी बच्चों को ८वी कक्षा तक की शिक्षा पुरी करने के लिए १ लाख करोड रुपये नही है ? पूरी दुनिया में शिक्षापर सबसे कम खर्च करनेवालो में भारत का नाम है, भारत से पिछडे हुए देशोंने भी शिक्षा क्षेत्र में भारत से जादा पैसा खर्च किया जाता है इससे यह साबित होता है की पैसो की कमी का सरकार केवल 'नाटक' करती है ।

संविधान के संपनोंपर-श्रमिकोंपर हमला

संविधान के अनुसार १९६० तक भारत के सभी बच्चोंने ८वी कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी और यह शिक्षा मुफ्त, सक्तीसे सरकारही देगी ऐसा संविधान में कहा गया है । १९६० में तो उस वक्त सत्ताधारीयोंने यह जिम्मेदारी पूरी निभायी नही । आज २०१३ तक संविधानका सपना पूरा हुआ नही । उलटा सरकार हर क्षेत्र में दमन करते हुए कह रही है, शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी नही । मतलब (Social Welfare State) कल्याणकारी राज्य भी नामका रह गया है । अब शिक्षा क्षेत्र निजी कंपनीयाँ, एनजीओं निजी संस्था चलायेंगे । शिक्षा कैसी हो ?, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम यह निजी संस्थाए तय करेंगी । गये २० सालों में ८६वी संविधान दुरूस्ती, सर्वोच्च न्यायालयने टी.एम.ए.पै. फौडेशन प्रकरण मे दिया हुआ निकाल, २००९ में लागू हुआ (तथाकथित) शिक्षा अधिकार क़ानून और इस संसद सत्र में मंजूर हो रहे उच्च शिक्षा के अनेक क़ानून यह तो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है । क़ानूनन निजीकरण को वैध करार देने की राज्य सत्ताकी खासियत यह राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पूंजीपतीयों से प्रभावित है मुंबई के स्कूलों का निजीकरण का निर्णय इन्ही दिशा में आगे बढनेवाला कदम है ।

समतामूलक शिक्षा के लिए संघठित हो

सभी बच्चों को समता मूलक, मुफ्त एवं सक्तीसे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर देनी हो तो मुनाफेवाली निजी कंपनीयों के भीक पर चल रही एनजीओं वह दे नही सकती. श्रमिक, दलित, अल्पसंख्य लोगों को यह बाजारू अर्थव्यवस्था तो बिल्कूल नही देगी । वह काम सच्ची लोकतंत्रवाली सार्वजनिक खर्च से चलनेवाली शिक्षा व्यवस्थाही कर सकती है ।

आज तो जिसके पास पैसा है उसीको शिक्षा मिलती है । यह तो असमानता है । विषमता बनी रही इसलिए बहुस्तरीय (मल्टीग्रेड) शिक्षा व्यवस्था जानबुझकर खडी की गयी है । जातिव्यवस्था जहाँ बुनियादी रूप में मौजूद है उसका एकही रास्ता है ***केजी से पीजी*** तक पूर्णत: सरकारी खर्चेसे चलनेवाली, सबको समातामूलक शिक्षा देनेवाली पडोसी स्कूल के तत्वद्वारा 'समान स्कूल' व्यवस्था । 'पडोसी स्कूल' माने उस निर्धारीत क्षेत्र के सभी बच्चे एकही सरकारी स्कूल में शिक्षा लेंगे । चाहे वह कोई भी हो ! ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपना ध्येय है इस ध्येय के साथ मुंबई के जनविरोधी निर्णय का प्रतिरोध संघठित और बुलंद हो ।

मुंबई शिक्षण कंपनीकरण विरोधी अभियान किस लिए ?

उपर उठाये गये मुद्दों को गंभीरता से देखते हुए मुंबई के स्कूलों का कंपनीकरण रोकने के लिए **'अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच' (All India Forum for Right to Education)** यह राष्ट्रव्यापी मंच के सहयोग से महाराष्ट्र के जनसंगठन, लोकतंत्रवादी संस्था, पक्ष, इकठ्ठे आकर **'मुंबई शिक्षण कंपनीकरण विरोधी अभियान'** शुरू किया है । इस संदर्भ में विविध संस्था, संगठना, प्रतिनिधीयों की २६ जनवरी और १० फरवरी २०१३ पुणे में लोकायत संगठन के कार्यालय में हुई बैठकों में विचार विमर्श हुआ। इसी बैठक में राज्य अभियान की १८ संगठन की समन्वय समिती और निरज जैन, अरविंद वैद्य, डॉ. मिलिंद वाघ तीनोकी निमंत्रक समिती, मुख्य निमंत्रक अरविंद वैद्य, श्याम सोनार कार्यालयीन समन्वय ऐसी जिम्मेदारी सोपी गई । १ मार्च के बैठक का निर्णय इसी बैठक में लिया गया । यह अभियान राज्यभर चलाए जाए और १६ मार्च को धरना प्रदर्शन हो हर जिल्हों के जिल्हाधिकारीद्वारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को निवेदन भेजे की मुंबई स्कूल का यह निर्णय रद्द करे ।

कौन शामील हो सकते है ?

शिक्षा का हर स्तर पे हर प्रकार में हो रहा बाजारीकरण, कंपनीकरण को रोकना, पडोसी स्कूल आधारित समान स्कूल प्रणाली का निर्माण करने की सोच रखना, शिक्षा क्षेत्र में जातिवाद-धर्मवाद को रोकना, सार्वजनिक निजी भागीदारी का विरोध करते हुऐ नव-उदारवादी अर्थनिती से प्रेरीत फंडींगपर न चलनेवाली कोई भी संस्था, संगठन, व्यक्ती इसमें शामील होने का आवाहन यह अभियान कर रहा है।

सभी सहभागी संगठन,संस्था मुंबई स्तर के

अवेहि-अॅबकस प्रकल्प मुं, आयसा (वि.स.) मुं, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन मुं, शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंच मुं, इंडियन सोशल मूव्हमेंट मुं, एआयएसएफ (वि.स.) मुं, एआयआरएसओ (वि.स.) मुं, जनता दल (से) मुं, टीडीएफ मुं, परिवर्तन शिक्षण संस्था मुं, फुले आंबेडकरी राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना मुं, महाराष्ट्र सर्व श्रमिक संघ मुं, विद्यार्थी भारती मुं, मागासवर्गीय विद्यार्थी-पालक संघर्ष समिती मुं, युसूफ मेहेर अली सेंटर मुं, युवा बिरादरी मुं, रिब्लीकन पॅर्थर मुं, राष्ट्र सेवादल मुं, समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समिती मुं, सीपीआय (एमएल,एल) मुं, समाजवादी जनपरिषद मुं, भारीप बहुजन महासंघ मुं, भाकपा मुं, म्यु. कामगार कर्मचारी पुरोगामी युनियन मुं, मुं. म्यु. कामगार संघ मुं, मुक्तीयान लोक सांस्कृतिक संघटना मुं. शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच मुं.